मा० – 9

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय उप कार्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्रबन्धक,
रेणुपावर इण्टर कालेज, रेणुसागर,
सोनभद्र ।

पत्र संख्या आई० बी० मान्यता 29 वाराणसी, दिनांक 8-4- 1997

विषय:–आपका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7-क 'क' के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की 1998 की हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिये सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।

~~(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।~~

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

77

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) 30x20 माप का एक प्रयोगशाला कक्ष और बनाया जाय ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
वाणि०वर्ग हाई०आ०त०	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित-एक विज्ञान-एक, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शारीरिक समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य ।	वाणिज्य

टिप्पणी (1) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु कम से कम 30 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/~~निरीक्षिका~~ कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न- भवन विश्लेषण ।

भवदीय,

अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या आई० बी० मान्यता। दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। सोनभद्र ।

(2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक। वाराणसी ।

(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० इलाहाबाद।

(4) हाई स्कूल/~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा संस्थागत अनुभाग।

अपर सचिव।

पी०एस०यू०पी० (वा०) 41 मा०शि०प० – 16-6-95—40,000।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी

भवन विवरण-पत्र

(अतिरिक्त मान्यता हेतु आवेदन करते समय आवेदन-पत्र के साथ इस प्रपत्र की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें)

विद्यालय का नाम रेणुसागर इण्टर कालेज रेणुसागर सोनभद्र ।

अभिलेखानुसार वर्तमान मान्यता

हाई स्कूल		इण्टरमीडिएट	
वर्ग	विषय	वर्ग	विषय
साहि०		साहि०	
वैज्ञा०		वैज्ञा०	

स्वीकृति मान्यता वाणिज्य वर्ग हाई०/इ०   परीक्षा वर्ष 1228

प्रस्तावित मान्यता .... दिनांक .... द्वारा निम्नलिखित भवन के आधार पर स्वीकृत

भवन

प्रयोजन	कक्षों की माप एवं संख्या	उपलब्ध कक्ष	वांछित कक्षों की संख्या: वर्तमान हेतु	वांछित कक्षों की संख्या: स्वीकृत हेतु	कमी (यदि कोई हो)
1 शिक्षण कक्ष	34= 26·9x21·9	34	32	02	—
2 वैकल्पिक कक्ष	2= 21·9x17·3	02	02	—	—
3 प्रयोगशाला (6·9 मी०) 4 प्रयोगशाला (6·8 मी०) (हाई स्कूल गृह वि०)	2= 31·1x24·9 2= 33x19·5 1= 33x24	05	06	—	01
5 प्रयोगशाला से संलग्न कक्ष	8= 12·6x12·2 3= 17x9·5 1= 17x9·5	11	11	—	--
6 प्रशासकीय कक्ष 7 पुस्तकालय 1= 12x12	1= 26·9x21·9 1= 12x10	04	04	--	--
8 कृषि कक्ष	1= 26·9x21·9	01	01	—	--
9 संगीत/कला/नृत्य कक्ष 10 अन्य कक्ष	1= 53·6x21·9	01	01	--	--
	योग	58	57	02	01

अन्य उपलब्ध कक्ष

संख्या माप	कच्चे/पक्के	अग्राह्य होने के कारण
1= 21·9x17·3 1= 26·9x21·9 1= 17·3x15 1= 17·5x8·9 1= 17x17·3 1= 21·9x9		1= 17·3x19·9 1= 17·3x15 08

प्रतिबन्ध (यदि कोई हो) 30x20माप का एक प्रयोगशाला कक्ष और बनाया जाय।

(क्षेत्रीय सचिव)

[क०पृ०उ०]

निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण/आख्या निरीक्षण के समय इस (प्रपत्र के अनुसार भवन की जांच कर लें, तथा भवन में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो निम्न तालिका में त्रुटि का विवरण अंकित कर दें।

इस भवन निरीक्षण-पत्र के निर्गमन के पश्चात् भवन में की गयी त्रुटि का विवरण

निरीक्षण का दिनांक	कक्षों की संख्या एवं माप	दीवार पक्की/कच्ची	छत का विवरण	निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी० एम० यू० पी० (बा०)---42 मा० शि० प०---16-6-95---20,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।